।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत खेडली सैयद

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 251ए/12 तारीख रज्जू 21.10.2021

01– बाबूलाल पुत्र श्री नारायण, उम्र 57 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम ककरालीजाट तहसील व जिला अलवर

02– रामकिशन पुत्र श्री नारायण, उम्र 60 वर्ष, जाति मीना निवासी ग्राम ककरालीजाट तहसील व जिला अलवर **–प्रार्थीगण**

बनाम

01– तहसीलदार महोदय, अलवर तहसील व जिला अलवर

02– ग्राम पंचायत खेडली सैयद जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत खेडली सैयद तहसील व जिला अलवर **–अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा हेतु बाबत चाहने रास्ता

–: निर्णय :– दिनांकः 27.12.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.61 है० व खसरा नम्बर 316/724 रकबा 0.01 है० गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम ककराली जाट तहसील अलवर के काबिज खातेदार काश्तकार है। हमारी उक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए एवं कृषि यंत्र ले जाने, वाहन आदि लाने लेजाने के लिए कोई रास्ता वर्तमान में नही है। मुख्य सडक ककराली जाट (कांदोली बास) से उद्योग नगर को जाने वाली डामर सडक से लगती हुई चारागाह भूमि खसरा नम्बर 187 व 187/759 है। प्रार्थीगण प्रारम्भ से ही चारागाह भूमि में से होकर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

आते जाते रहे है, इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता नही है। इस कारण रास्ता खसरा नम्बर 187 रकबा 2.18 है० किस्म चारागाह में से 52 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता मुख्य डामर सडक से खसरा नम्बर 187/734 के पूर्व डोल से लगते ही खसरा नम्बर 187/759 रकबा 0.18 है० किस्म चारागाह में से 5 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 316 रकबा 0.61 है०, 316/724 रकबा 0.01 है० में आने जाने के लिए रास्ता कायम करवाने हेतु, प्रस्तावित रास्ते में दी जाने वाली चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए, अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.61 है० में से सर्मपण करने हेतु न्यायालय को निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प खेडली सैयद में पेश हुई। प्रार्थीगण उप०। प्रार्थीगण को सुना। तहसीलदार, अलवर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार अलवर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके पर खसरा नम्बर 187 जो कि चारागाह दर्ज रिकार्ड है में से एक डामर रोड एम.आई.ए. से ग्राम ककराली जाट (कान्दोलीबास) की तरफ जा रही है। प्रार्थीगण बाबूलाल व रामकिशन उक्त सडक से अपने आराजी खसरा नम्बर 316 व 316/724 तक आने जाने के लिए खसरा नम्बर 187 व 187/759 में से रास्ता चाहते है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने जाहिर किया की प्रार्थीगण जहां से रास्ता चाहते है उसी जगह से होने हुए वर्षो से अपने खेतों पर आते जाते रहे है। प्रार्थीगण ने जाहिर किया की यदि हमकों चारागाह भूमि से रास्ता दिया जाता है तो हम अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 316 में से उतनी भूमि जितनी की रास्ते में जा रही है उसके एवज में चारागाह के लिए देने के लिए तैयार है। मौके पर रास्ता देने पर खसरा नम्बर 187 में से लगभग 120 मीटर व खसरा नम्बर 187/759 में से 5 मीटर इस तरह से लगभग 125 मीटर भूमि लम्बाई में तथा 4 मीटर भूमि चौडाई में कुल 500 वर्गमीटर भूमि रास्ते में जाती है, जिसका नजरी नक्शा पेश किया गया है। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे पर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

ग्रामवासियों के हस्ताक्षर के साथ सरपंच, ग्राम पंचायत खेडली सैयद के मय मोहर हस्ताक्षर है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा जमाबन्दी खाता संख्या 172 एवं 81 सम्वत 2071–2074, प्रस्तावित रास्ते का नक्शा एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.09.2021 के क्रम में दिनांक 22.09.2021 को ग्राम पंचायत खेडली सैयद द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार रिपोर्ट पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 251(क) राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र 251(क) राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। खसरा नम्बर 187 व 187/759 चारागाह में से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 316 व 316/724 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 187 में से 120 मीटर व 187/759 में से 5 मीटर इस तरह से कुल 125 मीटर भूमि लम्बाई में व 4 मीटर भूमि चौडाई में कुल 500 वर्गमीटर में रास्ता कायम किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.61 है० किस्म चाही सोयम में से 500 वर्गमीटर भूमि चारागाह में दर्ज करने के तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है, तदानुसार नक्शा व जमाबन्दी में अमल दरामद करे। अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत खेडली सैयद में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर